Janbhagidari Service Rule

डोक-ठ्यय की पूर्व अदायगी भिविना टाक द्वारा भेज जाने भै लिए अनुमत अनुभीत पत्र के भोपाल-505/ डब्ल्यू पी. पत्री क्रमाक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

माध्यप्रदेशा राजापत्रा (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमावः 471]

भोपाल, ग्गेमवार, दिनाक 30 सितम्बर 1996-आण्विन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग मत्रालय, बल्तभ भवन, भोपाल

भाषाल, दिनाङ 30 सितम्बर 1996

क्र एफ-73-6-96-मो-3-36 - णासकीय महाविद्यालया के प्रवधन में जन भागीदारी की दृष्टि स णासन द्वारा [नुम्नीनस्ति निर्णय लिया गया हे -

- (क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उनके स्थानीय प्रवधन को एक गणित का सौपा जाएगा यह समिति "मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के अन्तर्गत पजीकृत की जाएगी
- (स) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिये स्थानीय नागरिकों से स्वेच्दिक रूप से संसाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर्फींस लगाए या वदाए आर कन्सलटेसी आदि के धन एकत्रित करें. उन संसाधनों का उपयोग गह समिति महाविद्यालय वर्ष विभिन्न गतिविधियों के लिये कर संकर्गा. समिति जन सहयोग क जरिये महाविद्यालय में अच्छा योडिक पर्यावरण बनाने में सहायक होगी. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जा शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये है, उनकी प्रवध समिति को अकादमिक मार्गों में भी स्वायनता होगी, अर्थात ऐसी समितिया स्थानीय स्तर पर पवेश नियस वन्नयेगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगी अध्ययन-अध्यापन परीक्षा सचालन एव मुल्याकन की नई पद्धतियों का विकास करेगे.
- (ग) समिति क कार्य कलापों का प्रवधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियत्रण में किया जायेगा. यह अमिति की सर्वोच्च सभा होगी. इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया आयेगा. राज्य शासन संबधित नगर निकाय, जनपद पचाधन एव जिला पचायत के सदस्य, विधायक अथवा णासद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त

এমইয়া বাসণয়, শিৰাক 30 মিলম্বৰ 1996

ि करेगा. सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कुलेक्टर अथवा जनका प्रतिनिधि होगा. सामान्य परिषद् में थियह) सामद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होगे

इस परिषद् म मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने कले स्थानीय समठन, उद्याग, अभिभाष पूर्व विद्यार्थिया, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृपको विश्वविश्वालय अनुदान आयोग एव पीक्स जाल आदि के प्रातनिधि सदस्य होगे. सामान्य परिषद्णों अभिभाषभने एव पूर्व छात्रौं के दी ही प्रतिनिधि ह

अनुमुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभाषक, जिसके कौई संदर्ध » श्रेणिया म न आये हो, परिपद् का सदस्य नामाफित किया।जायेगा.

परिषद में एक मोहला अभिभाषक को सदस्य नामाकित किया जायेगा थदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई :

दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामावल निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया आएगा -

1. दस हजार से कम आवादी वाले क्षेत्रों ढारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने आलों में स.

दस हजार से पंचास हजार तक की आबादी याले स्थान में रुपये पंच्चीस हजार से अधिक दान है.

3. पचास हजार में एक लाख तक ां आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पंचास हजा, से अधिक दान देने वालों म

4 एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रूपये से अधिक दान देने वाली में से. सामान्य परिव म नामजद किये जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष ढारा नामजद किये जाएं, महाविद्यालय के प्राचार्य रू समिति के सदस्य गांचव होगे.

साधारणत सामान्य परिपद को बैठक वर्ष में दो बार होगी. आवश्यकतानुसार परिपद की विशेष बैठक भी बुलाई ज मकेगी परिपद नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेग करेगी. परिपद के कार्य-कान्गपों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है साकि परिपद के सचालन म किसी प्रकार की काठनाई न हो

(प) सामान्य परिपद के अतिरिक्त समिति के कार्य कलापों के समुचित प्रयक्षन के लिये प्रबध समिति एवं वित समिति भी होगा.

(इ) प्रवध समिति सभी प्रवध सवधी मामलो के लिये जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद क कार्य सम्पादन में भी सहायक होगी. सामान्य परिषद का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा. संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एव अन्य महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे. महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख महाविद्यालय के दो शिक्षेक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदालाओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे. प्रद समिति की बेठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन भाह में कम से कम एक बार अवश्य होगे.

र्म) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होगे. बैकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ गिक्षक, सवधित कोपालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोपालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होगे. वित्त सांमात महाविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनायें रखने के कार्य में सहायता करेगी.

(छ) गमिति द्वार : 'नाय रूप से एकत्रित किये गये वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के सूप में रुखा जायेंगा. ३३ निधि का व्यय समिति द्वारा स्वय निर्धारित नियमी प्रक्रिया के अनुगर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनाक ३० सितम्≈र 1996

महाविद्यालय की अधीसरचना क विकास के लिये किया जायेगा सम्था की निधि को लेख ारीक्षण सामान्य परिषद के द्वारा नियुक्त चार्टड अकेक्षणों द्वारा प्रतिवर्ध किया जायेगा गाविद्यालय को राज्य जासन से प्राप्त सभी राजिया की व्यय व्यवस्था एव लेखा सधारण तथा अकेक्षण जासकीय नियमानुसाँ होगी.

समिति की गिधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा. सोणल, गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत. विज्ञापन जेंगी गेर अकारोमक गतिविधियों के लिये नहीं किया जाएगा. इसके लिए नियम बनाये जायेगे.

गामति क्वरा निर्धारित किला शुल्क । वृद्धि की जा संकर्मा, तथा समिति नये शुल्क भी जमा रुवमी और आय वृद्धि क अन्य क्रमय भी कर सकेली, ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिल्ज की जादनी

- (त्र) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रविधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी श्रोपित कर दिये गये हैं उनुहों अकादमिक परिपद और अध्ययन मण्डल भी होगे. अवन्दमिक परिषद एव अध्ययन मण्डल महाविद्यालय, कैं अकादमिक कार्य कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे दनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषजों तक हो सीमित रहेगी.
- (ज्ञ) समिति अपने कार्य के लिये कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी। महाविद्यालय के किसी एक कर्मवारी को ही समिति की राणि में से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी.
- (1) महाविद्यालय क पाचाय एव महाविद्यालय के सभी प्रेक्षणिक एव अप्रेक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तिया राज्य प्रासन बारा प्रासंगय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तनान नियमों के अनुसार की जावेगी. नविष्य में ये अधिकार उन समिलिया को दियं जायेंग, जिनकी उपलब्धिया उल्नेयनीय होगी, परन्तु प्रासन की अनुभाष के विना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा.
- (a) मध्यप्रदेश सामगढटा रजिस्टोकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानी के अतिस्थित याथ शासने राहेगा तो नॉनोत की जांच करा संस्था, य एगा निर्देश ये भरेगा जसा शासने उपयुक्त समझता है.

(द) यह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

942 (1)

समिति का ज्ञापन

1.	समिति का नाम होगा
2.	समिति का पंजीयित कार्यालयमें होगा
3.	समिति की स्थापना का उद्देञ्य
	महाबिद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करना. विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना/ बढ़ाना और कन्सलटेन्सी आदि से धन एकत्रित करना । इस प्रकार जुटाये गयें संसाधनों का उपयोग जन सहयोग के जरिये महाविद्यालय में अच्छा वौद्धिक वातावरण बनाने के लिए करना ।
	स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में सणिति के निम्न अतिरिक्त उद्देश्य भी होंगे-
	(क) अध्ययनक्रमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण
	(ख) जासन के आरक्षण नियमों के अध्याधीन प्रवेश नियमों की रचना
	(ग) परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन को पद्धतियों का विकास
4.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संख्या 44 सन् 1973) के प्रावधानों के आंतरिक्त समिति क काम-काज के पुनरावलोकन हेतु राज्य शासन किसी एक या एकधिक व्यक्तियों की नियुक्ति जांच-परस्व के लिए कर सकता है । ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा समिति के मामलों की जांच के आधार पर राज्य शासन ऐसी कार्यवाही कर सकता है या ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो आवश्यक समझे और समिति ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए वाध्य होगी। महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रमों के संवंध में राज्य शासन आवश्यकतानुसार संबंधित समिति को निद 'श भी दे सकेगा ।
5. 	समिति के कार्य-कलापों का प्रवंधन सामान्य परिपद् के निर्देश एवं नियंत्रण में विनियमों के अन्तर्गत प्रवंध - समिति द्वारा किया जायेगा । समिति की सामान्य परिपद, जो कि सर्वोच्च सभा है, के प्राथमिक सदस्यों की नामावली और पते निम्नलिखित - है:

क्र.	नाम	पता	पद
· 1.	r r	संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायव, या सांघद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति	સઘ્યક્ષ
2.		कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3.	÷.,	जहाँ महाविद्यालय स्थति है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदग्न्य
-4.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सद म्य
			- 1 ·

	5.					
				। उच्च जिंहा के रत्पाद र		112.17
				लि स्थानीय संगठन, उद्योग ते वाराजने करने		é
1			रात्याओ ज्ञालाओ	ो, दानदाताओ, कृषको, ो के एक-एक प्रतिनिधि	હવ ગાવસ	1
	6.			वकों एवं पूर्व छात्रों	क दो-टो	117,120
	7.		দ্বনিথি			
			अनुस्नि	गत जाति, अनुसूचित ज	तन – जाति,	49:00
			ণিতত্তা	वर्ग में से प्रत्येक उस वग	ां का एक	
			आगणाः श्रेणियो	प्रक, जिसके कोई मद में न आये हों ।	स्य अन्य	
	8.			न न आय हो । हेला अभिभावक, यदि अ	-n ED	
			रेणी में श्रेणी में	महिला न आई हो ।	ल्य किस	1151.1
	9.	*		द्यालय अनुदान आयोग, ः	नई दिल्ली	usut
2	10.		द्वारा मने	नित सदस्य		
				ालय का प्राचार्य		117.171
	6.	לה הבתידה דלח ודלו				
		गर्भ नेपर्ग सामहिटी मेलिस्ट्र	किरण अभिनियम, 197	3 (ग्रन्ध संग्रन्था 4 1 मन 10	73) 75 11116 73	31357171 . 3
	7	मध्य प्रदेश मांग्लटरी गंतरर्थ समिति प्रतिष्ठान ज्ञांपन के र	े स्व घटना का जान	144 the Ut Ut Ut T	tain man 1	
	7.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम		विमा को एक प्रमाणित प्रोत सामिति के दियाँ	तीलीप मलग्न है ।	
	7. 	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न	असे परिव कार्यन ओर पते नीचे लिखे है लिखित साक्षियों की उ	विमा को एक प्रमाणित प्रोत सामिति के दियाँ	तीलीप मलग्न है ।	
		हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम	असे परिव कार्यन ओर पते नीचे लिखे है लिखित साक्षियों की उ	विमा को एक प्रमाणित प्रोत . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर	तीलीप मलग्न है ।	
•		हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न	असे परिव कार्यन ओर पते नीचे लिखे है लिखित साक्षियों की उ	विमा को एक प्रमाणित प्रोत . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर	तीलीप मलग्न है । ∫क्त ज्ञापन के अनुम किये है:-	।र करने के
•	<u>क.</u> 1. 2.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न	असे परिव कार्यन ओर पते नीचे लिखे है लिखित साक्षियों की उ	विमा को एक प्रमाणित प्रोत . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर	तीलीप मलग्न है । ∫क्त ज्ञापन के अनुम किये है:-	।र करने के
	च. 1. 2. 3.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न	असे परिव कार्यन ओर पते नीचे लिखे है लिखित साक्षियों की उ	विमा को एक प्रमाणित प्रोत . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर	तीलीप मलग्न है । ∫क्त ज्ञापन के अनुम किये है:-	।र करने के
	<u></u> 1. 2. 3. 4.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न	असे परिव कार्यन ओर पते नीचे लिखे है लिखित साक्षियों की उ	विमा को एक प्रमाणित प्रोत . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर	तीलीप मलग्न है । ∫क्त ज्ञापन के अनुम किये है:-	।र करने के
	死。 1. 2. 3. 4. 5.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न	असे परिव कार्यन ओर पते नीचे लिखे है लिखित साक्षियों की उ	विमा को एक प्रमाणित प्रोत . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर	तीलीप मलग्न है । ∫क्त ज्ञापन के अनुम किये है:-	।र करने के
	च. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न	असे परिव कार्यन ओर पते नीचे लिखे है लिखित साक्षियों की उ	विमा को एक प्रमाणित प्रोत . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर	तीलीप मलग्न है । ∫क्त ज्ञापन के अनुम किये है:-	ए करने के
	死。 1. 2. 3. 4. 5.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न अंठादाता	ओर पते नीचे लिखे है लिखित साक्षियों को उ का नाम	विमा का एक प्रमाणित प्रात . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर	तीलीप मलग्न है । (कि ज्ञापन के अनुम किये है:- पता	।ग करने के हर
	च. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न अंठादाता हम अधोहरताक्षरित यह प्रमा	णेत करते हैं, कि हस्ता	विमा का एक प्रमाणित प्रात . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर क्षरकर्ताओं ने अपने हस्ता	तीलीप मलग्न है । (कि ज्ञापन के अनुम किये है:- पता	।ग कारने के हा
•	<u>ず.</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न अंठादाता	णेत करते हैं, कि हस्ता	विमा को एक प्रमाणित प्रात . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर शरकर्ताओं ने अपने हस्ता ।	तीलीप मलग्न है । (कि ज्ञापन के अनुम किये है:- पता	।ग कारने के हा
	<u>ず.</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न अंडादाता मै योपणा करते है, कि हम सं 1. नाम	णेत करते हैं, कि हस्ता	विमा का एक प्रमाणित प्रात . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताश शरकर्ताओं ने अपने हस्ता । पता	तीलीप मलग्न है । (कि ज्ञापन के अनुम किये है:- पता	ाग करने के हर
	<u>ず.</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न अंठादाता हम अधोहरन्ताक्षरित यह प्रमा भी योपणा करते है, कि हम सं	णेत करते हैं, कि हस्ता	विमा को एक प्रमाणित प्रात . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताक्षर शरकर्ताओं ने अपने हस्ता ।	तीलीप मलग्न है । (कि ज्ञापन के अनुम किये है:- पता	ाग करने के हर
	<u>ず.</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न अंडादाता मै योपणा करते है, कि हम सं 1. नाम	णेत करते हैं, कि हस्ता	विमा का एक प्रमाणित प्रात . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताश शरकर्ताओं ने अपने हस्ता । पता	तीलीप मलग्न है । (कि ज्ञापन के अनुम किये है:- पता	।ग करने के ह
	<u>ず.</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न अंडादाता मै योपणा करते है, कि हम सं 1. नाम	णेत करते हैं, कि हस्ता	विमा का एक प्रमाणित प्रात . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताश शरकर्ताओं ने अपने हस्ता । पता	तीलीप मलग्न है । (कि ज्ञापन के अनुम किये है:- पता	ाग करने के हर
	<u>ず.</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम है तथा ज्ञापन पर हमने निम्न अंडादाता मै योपणा करते है, कि हम सं 1. नाम	णेत करते हैं, कि हस्ता	विमा का एक प्रमाणित प्रात . समिति का निर्माण, उपयु परिथति में अपने हस्ताश शरकर्ताओं ने अपने हस्ता । पता	तीलीप मलग्न है । (कि ज्ञापन के अनुम किये है:- पता	ा करने है ह

	नाम	पता	पट
1.		संयंभित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायक या गांसद में से राज्य आसन-द्वारा नियुक्त व्यक्ति	311.2181
2.	<u>_</u>	कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	310 48
\$.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
í,		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सद्य
5.	÷	प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृपकों, एवं पोपक शालाओं के एक-एक प्रतिनिधि	<u>स</u> न्द्रभ्य
	· · ·	अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि	गरम्य
•		अनुमूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अगिगावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों	12.121
• P [*]	- * a.	एक पहिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो	महम्ब
		विञ्चविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य	सट म्य
0.		महाविद्यालय का प्राचार्य	सटम्य मचिव

2

पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय-समय पर पुनरीक्षण (म)

विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिये छात्रों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण (円)

राज्य जासन द्वारा प्रदत्त निभियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निभियो के अर्जन की विभियाँ खोजना 0

संपिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें अंगोकृत करना (3)

विनियम

समिति मध्यप्रदेश के विनियम

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 6(3) के अधीन परिभाषाऐं:-इन विनियमों, में, यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभीष्ट न हो तो

(क) महाविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) ------ शासकीय स्नातक/रनातकोत्तर महाविद्यालय

(ख) समिति से तात्पर्य है, (नाम) ----- महाविद्यालय स्थानीय प्रवंधन समिति

(ग) राज्य शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन

(म) विञ्चविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) ------ विञ्चविद्यालय

(ड) कुलपति से तात्पर्य है, (नाम) विश्वविद्यालय का कुलपति

(च) आयुक्त से तात्पर्य है, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., गोपाल

(छ) प्राचार्य में तान्पर्य है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य

गंपिति की मंग्रजना निम्नानुसार होगी:-

(1) सामान्य परिषद्

(2) प्रबन्ध समिति

(3) वित्त समिति

समिति द्वारा समस्त नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उक्त सभाओं के माध्यम से किया जाएगा ।

गन्य परिषद

समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिपद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा । यह समिति की सर्वोच्च, सभा होगी ।

सामान्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगें:-

(=1)

समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, ॲकेक्शित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण 'प विचार करना और उन्हें अंगीवृज्ञ

- प्रयभ सोमति की अनुभासा पर छात्रवृत्तियाँ, अध्येत्तावृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदको, पारितोषकों तथा प्रमाण-एप्रो (3)
- (3)
- आगामा वर्ष के लिये संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिव का निर्धारण यदि आवञ्चक हो तो ममिति के विनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना । (引)
- महाविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण भ्वीकृति हेन् राज्य झासन को (3)
- सामान्य परिपद् के कार्य संचालन को प्रक्रियाः-(4)
 - साधारणतः सामान्य परिपद की बैठक साल में दो बार होगी । आवश्यकतानुसार परिपद की विशेष बैठक भी वुसाई (7.)
 - सामान्य परिपद् की वैठक की सूचना में वैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होगें । वैठक की सूचना (F) प्रत्येक सटस्य को पंजीयत ड्राक से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रेपित हो जानी चाहिए, किन्तु किसी विशेष वैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेगें
 - परिपद को किसी भी सभा के लिय अध्यक्ष <u>सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति</u> (कोरम) आवश्यक होगी, परन्तु $(\overline{\tau}_{i})$ किसी भी स्थानित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी
 - परिपद को प्रत्येक बेठक अध्यक्ष को अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपरिधति में उपाध्यक्ष यह (5) दायिन्य निशायमं । अध्यक्ष ब उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित. सदरूयगण अपने बीच में में किसी एक का चुनाव कवल उस बैठक के लिये अध्यक्ष के रूप में करेंगें
 - अध्यक्ष संहत परिपदु के प्रत्येक सदस्य का एक-एक मत होगा । यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को वरावर (3) मत प्राप्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा
 - प्रत्येक बैठक के कार्यविवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र आयुक्त,उच्च शिक्षा की ओर अग्रेपित की जाएग। (=) सदस्यों की पंजी:-
 - र्क्तमति को सामान्य परिपद द्वारा <u>महाविद्यालय में अपने सदस्यों की एक पं</u>जी रखी जाएगी और मामिति के अध्यक्ष (T.) सहित प्रत्येक सदस्य उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा । पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्ववित प्रकार से हस्ताक्षर किये बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विडोपाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा
 - सामान्य परिपद के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सुचित करना (E) होगा, यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा
 - (ग) सामान्य परिपद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा तथा प्रत्येक मनोनीत सदस्य को पुर्नमनोनयन की पात्रता होगी

प्रचंध समिति

(5)

सामान्य परिपद के अतिरिक्त समिति के कार्यकलापों का समुचित प्रबंधन, प्रबंध समिति द्वारा किया जाएंगा । प्रवंध 1.

समिति का गटन निम्नानुसार होगाः–

- (1)सामान्य परिषद का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा
- संभागीय मुख्यालय में स्थिति महाविद्यालयों में जिले का कलेक्टर एवं अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त, उन्त्र (2)शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् उपाध्यक्ष होगें
- लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, जो मनोनीत किए जाएं ग (3)विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य, जो प्राध्यापक स्तर से कम का न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 📑 दिल्ली द्वारा मनोनीत एक सदस्य, सामान्य परिषद् का अशासकीय संगठन सदरम्य, दानदाताओं एवं म्यानंग औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे
- महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य सचित्र होगें (4)मुनोनीत सदम्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अविध के लिये होगा तथा इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल में पुन

प्रयंध समिति के कार्य

2.

- प्रवंध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, यथा:-
- संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारी वृन्द में अनुशासन लागू करना और (क) वनाए रखना, किन्तु संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये राज्य शासन के नियम की लागू रहेंग
- महाविद्यालय के वित्तीय प्रवंध का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा व्यय के विनियमन हेतु उप नियम しる
- 250
- प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना, जो समिति संस्था की निधियों के संदर्भ में उपयुक्त यमजे स्वदाासी महाविद्यालयों के मामले में अन्जदमिक परिषद् तथा वित्त समिति एवं अन्य में वित्त समिति (3) को अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुलक एवं अन्य भुगतांनों की सामान्य-परिपद को अनुशंसा करना
 - संस्थान की छात्रवृत्तियों, अध्येत्तावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाण पत्रों को संस्थित (3) करने की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना
 - दान तथा विन्यास को स्वीकार करना (코)
 - सामान्य परिपद के कांर्य संपादन में सहायक होना, एवं (己)
 - संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का संपादन (ज)
- प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी। किन्तु तीन माह में कम से कम एक वार अवश्य होगी

वित्त समिति

- वित समिति की मंरचना निम्नानुसार होगी :-1.
 - (1)प्राचार्य
 - वैंकिग/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध समिति द्वारा दो आध्यक्ष (2)वर्ष के लिये मनोनीत किया जाएगा मद्रम्य

- (3)
- पारीक्रम से दो वर्ष के लिये प्राचार्य द्वारा मनोनीत महाविद्यालय के दो बरिष्ठ जिशक महाविद्यालय, जिस जिले में स्थित है उसका कोपालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत (4)1121.4

व्यक्ति जो उप कोपालय अधिकारी के पद से नीचे का न हो. वित्त समिति के कार्य

गदाय

- समिति के सभी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में वित्त समिति महायक होगी, विशेषतः निम्नलिखित कार्यों भे. (1)
- प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति की निधि के व्यय हेतु उपनियमों का प्रारुप वनाना (2)
- वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक वजट) बनाना यह स्तित्रिचत करना कि वार्षिक वज़ट (वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन) आगापी वित्तीय वर्षके प्रारंभ से पूर्व संधाय (3) अधिकारी/ निकाय द्वारा विरचित व अनुमोदित है
- वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियन्त्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुशांसत करना (4)(5)
- लेखा वहीं खातों और तत्संबंधी खातों का अपेक्षित और समुचित रख रखाव कराना (6)
- वार्पिक लेग्वा–जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं उसे अंकेक्षकों को अग्रेपित करन (7)
- अंकेक्षित प्रतिवेदनों पर विचार कर टिप्पणियाँ अंकित एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित कराना
- सामान्य परिपद् के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना, एव (8)
- ऐसे सभी प्रस्तावों का परीक्षण व अनुइान जो पद रचना, पूंजी एवं अन्य व्यय की स्वीकित से संवंधित हो (9)
- (3)

নিথি

2.

निम्नलिखित संस्था की निधि के भाग होगें:-

- विञ्चविद्यालयं अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियाँ 🧉 (क)
- (ख) समस्त शुल्क एवं अमिति द्वारा वसुल की जाने वाली अन्य राशियाँ
- वयक्तियों अथवा संस्थानों से अनुदान, उपहार, दान, सहायता राशि एवं वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियाँ एवं (円) अन्य सभी प्राप्तियाँ । संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 (क्र.2 सन् 1934) में परिभाषित किसी अनुस्चित बैंक में रखी जाएगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषदु द्वारा अनुमोदित वजट तथा प्रवंध मर्मित द्राग इस हेतु वित्त सुपिति की अनुशंसा पर बनाए गए उपनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय क अधोमरचना विकास के लिए किया जाएगा

राज्य शासन में महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियाँ उनमें से व्यय, लेखा संधारण नथा अंकेक्षण शासकीय नियमों मं शासित होगें । संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टड अंकेक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा । महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों को व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुमार होगी।

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा । सोजल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत जैसी गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा । इसके लिए नियम बनाये जायेगें ।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी । तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी । ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेगी ।

केवल रुवशामी महाविद्यालयों के लिए

पध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित क दिये गये है उनमें अकादमिक परिपद् और अध्ययन मण्डल भी होगें । अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय क आकद्धिक कार्य-कलापों में स्यायता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगें । इनकी सदस्यता जिशा जास्त्रियों एवं विजेपता तक ही सीमित रहेगी ।

अकादमिक परिषद

(31) TRAIN :-

(1)	प्राचार्य	३१९२११
(2)	महाविद्यालय के सभी विभागों के वरिष्ठतम प्राध्यापक	सदस्य
(3)	शैक्षणिक स्टाफ के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शिक्षक, जिनका मनोनयन प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभग में सेवा की वरिष्ठता के आधार पर पारीक्रम में किया जायेगा	सदम्य
(4)	प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत महाविद्यालय से बाहर से कम से कम चार बिझेपज्ञ जो उद्योग, वाणिज्य, विधि, झिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी. आदि क्षेत्रों न्छ प्रतिनिधित्व करते हों	मटम्य
(5)	विञ्चविद्यालय द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि	सःम्य
(6)	प्राचार्य द्वारा मनोनीत एक शिक्षक	मदरय मंचि
1000	की पदावधिः–	(main

(च) मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी

(स) वैठकें : -प्राचार्य वर्ष में कम से कम एक बार अकादमिक परिषद की बैठक बुलाएगा

(2) कृत्य :-

अकादमिक परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, यथा

- अध्ययन मण्डलों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का परीक्षण करना और यथावत् अथवा किन्हीं परिवर्तनों के माथ (1)अनुमोदन करना। किन्तु यहाँ अकादमिक परिषद् किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो ऐसे प्रस्तायों को पुर्नविचार के लिये संबंधित अध्ययन मण्डल को लौटाने या कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार होगा
- महाविद्यालयों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश से संवंधित उप नियम वनाना (2)
- परीक्षाओं के संचालन के लिये उप नियम बनाना (3)
- महाविद्यालय के विद्यार्थियों के शिक्षण की गुणवत्ता, मूल्यांकन तथा छात्रों के मार्गदर्शक कार्यक्रमें ग (4)सुधार प्रक्रिया पहल करना
- खेलकूट तथा पाठयेत्तर गतिविधियों, छात्रावास तथा खेल मैदाना के उचित रख रखाव एवं संचालन के (5)लिये उपनियम बनाना

- (1)
- प्रवध समिति को अध्ययन के नये कार्यक्रमों के प्रस्ताव लागू करने के लिये अनुइांसा प्रधित करना 174 अन्तर समिति को छापतृतियों, अध्यतावृत्तियों, अध्ययनय्त्तियों, पारितोपकों एवं पदको को अनुधरग

318.2121

सदस्य

11:17

177.77

मरम्य

17.21 4

- करना एव उन्हें प्रदान करने के लिये उपनियम बनाना (S)
- गांधति को अकादपिक कार्यकलापों के विषय में परामर्श देना, एवं (\mathbf{Q})

कार्य समिति द्वारा प्रत्ता अन्य कार्यो का संपादन करना

अध्ययन मण्डल

(37)

- मंबंधित विभा का वरिष्ठतम प्राध्यापक (1)
- विभाग के प्रत्येक विशेषज्ञता का एक शिक्षक (2)
- अक्टर्नामक परिपद् द्वारा मनोनीत विषय के दो विशेषज्ञ, जो (3)नहाविद्यालय से वाहर के हों
- प्राचार्य द्वारा अनुइांसित छः व्यक्तियों के पैनल में से कुलपति द्वारा (4)मनोनोत एक विशेषज्ञ । यह पैनल संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रस्तृत किया जायेगा
- जय की अध्ययन के विशिष्ट विषयों का निर्धारण किया जाना हो, (5)अध्यक्ष द्वाग प्राचार्य की सहपति से नामांकित महाविद्यालय के बाहर के विद्यापत
- मकाय के अन्य शिक्षक कृत्व (6)
- (7) मनोनीन सदम्यों की पदावधि

मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी ।

वेटके :-(77)

विभिन्न विभागों के अध्यपन मण्डलों की बैठन्में का कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बैठक आवद पळतान् सार कभी भी की जा संकेगी । परन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य, होगी।

कृत्यः -(2)

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग के अध्ययन मण्डल के नीचे लिखे अनुसार कृत्य होगें:-

- अकादमिक परिपद् को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजन से महाविद्यालय के उद्देश्यों एवं (1) राष्ट्रीय आवञ्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण
- नवोन्भेषकारी जिक्षण पद्धतियाँ एवं मूल्यांकन प्रतिविधियाँ प्रस्तावित करना (2)
- अकादमिक परिपद को परीक्षकों की नियुक्ति हेतु नामों के पैनल प्रस्ताबित करना, एवं
- (3)डोभ्य, अभ्यापन, विगतार तथा विभाग/ महाविद्यालय को अन्य अकादमिक गतिविधियों का समन्ययन (4)

सामान्य

म्हांपति द्वारा राज्य आसन को स्वीकृति के विना कोई नया पद निर्मित नहीं किया आयेगा और न हो समिति (F.)

अपने कार्य के लिए पृथक से कोई स्टाफ नियुक्त करेगी ।

- (ख) मार्पति अपने कार्य संचालन के लिए महाविद्यालय के किसी कर्मचारी को ही मार्पति की निषि में मान्दक स्वीकृत कर संकेगी ।
- (ग) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुत्तियां राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से शासन द्वारा वर्तपान नियपों के अनुसार
 - की जावेगी, किन्तु भविष्य में ये अभिकार उन समितियों को दिया जायेगा जिनकी उपल्यिभय उत्माहजनक होगी परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा संकेगा ।
- (च) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिम्ट्रीकरण अधिनिवम, 1973 के प्रावधानी के अतिरिक्त यदि शायन चाहेगा हो, मंपिति की जांच करां संकेगा व ऐसा निर्देश दे संकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है ।

विविध

ममिति की ओर से एवं समिति के लिये किये गये सभी अनुबंध समिति के सचिव द्वारा ममिति के नाम पर कियान्वित किये जायेगें । समिति द्वारा अथवा समिति के किन्द्र सभी वाद या प्रतियाद ममिति के मचिव के नाम पर होगें ।



हम मंभी अधोड़ग्नाशरित प्रमाणित कर	है, कि उपयुर्क्त विवरण
नन गही एन संगति (खगा है ।	्रं सामात के नियम

प्राचार्य

कलेक्टर

अध्यश

Government Mahamaya College, Ratanpur (C. G.)

- सृजन २०१०

जनभागीदारी समिति

1.	अध्यक्ष	~	श्री अनिल यादव
2	उपाध्यक्ष	-	अपेक्षित (कलेक्टर प्रतिनिधि)
3.	सचिव पदेन	4	डॉ. आर.एस. खेर (प्राचार्य पदेन)
4.	सांसद प्रतिनिधि		अपेक्षित
5.	विधायक प्रतिनिधि		श्री सुभाष अग्रवाल
आस्त्रा	क्ष द्वारा मनोनित सवस्य :		
1.	स्थानीय संगठन		श्री दुर्गा कश्यप (बबल्)
2	उद्योगपति		श्री अजय महावर
3.	दानदाता	-	श्री शेख वली उल्ला
4.	कृषक	-	श्री तिरिथ यादव
5.	पोषक संस्था	-	श्री जय प्रकाश कश्यप
		-	श्री शुकवारा कश्यप
6.	अभिभावक	-	श्री संतोष प्रजापति
		-	श्री महेन्द्र कश्यप
7.	দুর্ব তার	-	श्री योगेन्द्र तंबोली
		-	श्री पवन पाठक
8.	अनुसूचित जाति	-	श्रीमती सरित कमलसेन
9.	अनुसूचित जनजाति	-	श्री रघुवीर आर्मो
10). महिला अभिभावक	-	श्रीमती राजकुमारी कश्यप

स्जन 2018

जनभागीदारी प्रबंध समिति

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित प्रावधानानुसार महाविद्यालय जनभागीदारी सामान्य परिषद के कार्यकलापों के समुचित प्रबंधन हेतु निम्नानुसर प्रबंध समिति का गठन किया जाता है -

1.	अध्यक्ष (सामान्य परिषद अध्यक्ष)	-	श्री अनिल यादव
2.	उपाध्यक्ष	-	अपेक्षित (आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्)
3.	सदस्य सचिव	-	डॉ. आर.एस. खेर (प्राचार्य)
4.	सदस्य	-	श्री नायक, एस.डी.ओ., पी.डबल्यू.डी. कोनी, बिलासपुर
5.	सदस्य	-	डॉ. भावना कमाने (मनोनीत शिक्षक)
6.	सदस्य	-	डॉ. ए.के. लहरे (मनोनीत शिक्षक)
7.	सदस्य	-	डॉ.ए.एन. बहादुर (वि.वि. द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्)
8.	सदस्य	_	अपेक्षित
			(वि.वि. अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य)
9.	सदस्य	-	श्री दुर्गा कश्यप (मनोनीत परिषद अशासकीय संगठन)
10.	सदस्य		श्री शेखवली उल्लाह (मनोनीत दानदाता)
11.			श्री अजय महावर (मनोनीत स्थानीय औद्योगिक संगठन)
11.	सदस्य	-	או שטוש הפושר (ירו וווי לשו ווין טוומווישר מיוטי)

जनभागीदारी वित्त समिति

उच्च शिक्षा विभाग छ.ग.शासन द्वारा निर्देशित प्रावधानानुसार, महाविद्यालय जनभागीदारी सामान्य परिषद के लिये वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में सहायता हेतु निम्नानुसार वित्तीय समिति का गठन किया जाता है -

1.	अध्यक्ष	-	डॉ. आर.एस. खेर (प्राचाय)
2.	सदस्य	-	अपेक्षित
			(प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत बैकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी)
3.	सदस्य	-	डॉ. श्रीमती नंदिनी तिवारी (वरिष्ठ शिक्षक)
4.	सदस्य	-	डॉ. श्रीमती अजरा कुरैशी (वरिष्ठ शिक्षक)
5.	सदस्य	-	अपेक्षित (कोषालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य जो उपकोषालय अधिकारी के पद से नीचे का ना हो)

शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर (छ.ग.)